संख्या-06/2017/431/26-2-2017-100(69)/2010

प्रेषक,

मनोज सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ ।

समाज कल्याण अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 15 मई, 2017

विषयः- चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-83 के आयोजनागत पक्ष के अन्तर्गत राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष प्रथम पाँच माह हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके पत्र संख्या-07-08/स0क0/एन0एस0ए0पी0/वृ0पें0यो0/2016-17, दिनांक 06.04.2017 के संदर्भ में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-3/2007/बी-1-348 /दस-2017-231/2017, दिनांक 20.03.2017 में दी गई व्यवस्था के अनुसार अनुदान सं0-83 के आयोजनागत पक्ष के अन्तर्गत राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना हेतु आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू0 50.00 करोड़ के सापेक्ष प्रथम 05 माहों (अप्रैल से अगस्त, 2017 तक) के व्यय के लिए पारित लेखानुदान हेतु रू0 20.84 करोड़ (रू0 बीस करोड़ चौरासी लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत कर व्यय किये जाने हेतु निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

1. उक्त स्वीकृति की जा रही धनराशि का कोषागार से आहरण विद्यमान व्यवस्था के अनुसार व्यय की आवश्यकता होने पर ही किया जाय।
2. प्रश्नगत योजना के अन्तर्गत ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली से केन्द्रांश प्राप्त की प्रत्याशा में उक्त वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा रही है। अतः केन्द्रांश प्राप्त होने पर निदेशक, समाज कल्याण द्वारा धनराशि का

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

समायोजन सुनिश्चित किया जायेगा तथा अपेक्षित केन्द्रांश भारत सरकार से प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

3. उक्त स्वीकृति की जा रही धनराशि का व्यय किये जाने से पूर्व वित्त विभाग के वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-3/2007/ बी-1-348/ 10-2017-231/2017, दिनांक 20.03.2017 द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4. उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय वित्तीय नियमों एवं इस संबंध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दी गई व्यवस्था का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुये किया जायेगा।

5. बजट अधिकारियों द्वारा बी0एम0-13 पर नियमित रूप से व्यय विवरण समाज कल्याण अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन के साथ-साथ वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन को भी प्रतिमाह उपलब्ध कराया जायेगा।

6. प्रश्नगत योजनान्तर्गत स्वीकृति की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। इससे इतर व्यय/उपयोग वित्तीय अनियमितता होगी, जिसके लिए निदेशक स्वयं उत्तरदायी होगें।

7. निदेशक, समाज कल्याण यह भी सुनिश्चित करेंगे कि उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय योजनान्तर्गत आवंटित जनपदवार परिव्यय के अन्तर्गत समायोजित रखा जायेगा। स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि पूर्व वर्षो की स्वीकृति धनराशि अप्रयुक्त उपलब्ध न हो। धनराशि का व्यय/उपयोग योजना के लिये निर्धारित नियमावली/स्थायी आदेशों के अनुसार ही किया जायेगा।

8. स्वीकृत की जा रही धनराशि में से निहित प्रशासनिक धनराशि का व्यय संगत नियमावली/शासनादेशों में निहित व्यवस्थानुसार नियमानुसार व्यय निदेशक, समाज कल्याण द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा, जिसके लिए वित्तीय स्वीकृति पृथक से शासन द्वारा निर्गत नहीं की जायगी।

2- उक्त वित्तीय वर्ष 2017-18 के लेखानुदान एवं तत्संबंधी विनियोग अधिनियम द्वारा प्राधिकृत निधि से पूरित हो तथा पश्चातवर्ती अवधि के लिये आवश्यक धन व्यवस्था मूल आय-व्ययक एवं तत्संबंधी विनियोग अधिनियम द्वारा उपलब्ध हो जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- उपर्युक्त योजना/मद पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-आयोजनागत-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम-06-राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-3/2007/बी-1-348/10-2017-231/2017, दिनांक 20.03.2017 में निहित व्यवस्था के अधीन निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

मनोज सिंह
प्रमुख सचिव।

पृ0 संख्या-06/2017/431 (1)/26-2-2017 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. एन0एस0ए0पी0 डिवीजन, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
4. निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ ।
5. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
7. राज्य योजना आयोग अनुभाग-1/2 एवं नियोजन अनुभाग-3
8. वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
9. वित्त नियंत्रक, निदेशालय, समाज कल्याण, उ0प्र0।
10. बजट प्रकोष्ठ/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कामता प्रसाद
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।